उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस, जवाव, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया है वही अप्रार्थी जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी खातेदार नही है और न ही व्यथित व्यक्ति है अतः प्रार्थी उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मांग किए जाने पर वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कर सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर मुटाम कायम कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही संपादित करावें एवं आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की मांग की जाए।

(पंकज कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

आदेश आज दिनांक 28/7/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/7/25
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner